भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2440
उत्तर देने की तारीख 08 जुलाई, 2019
सोमवार, 17 आषाढ़, 1941 (शक)

अजा/अजजा, अपिव, बालिकाओं और महिलाओं हेतु कौशल विकास शिविर

2440. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे किः

(क) क्या सरकार का बिहार में अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) बालिकाओं और महिलाओं हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक में प्रशिक्षार्थियों का शिविर मोड में अभिमुखीकरण किए जाने का प्रावधान है। ये शिविर उम्मीदवारों को 12 घंटे का अनिवार्य अभिमुखीकरण प्रदान करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है 68 घंटे तक का ब्रिज पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। बिहार में ऐसे आरपीएल शिविरों में नामांकित, उन्मुख, आकलित और प्रमाणित महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने बिहार में अप्रैल 2018 से मई 2019 के दौरान उम्मीदवारों के लिए जागरूकता बढ़ाने, परामर्श देने और संचलन के लिए 54 कौशल मेलों का आयोजन किया।

अनुबंध-।

"अजा/अजजा, अपिव, बालिकाओं और महिलाओं हेतु कौशल विकास शिविर" के बारे में डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा पूछे गए दिनांक 08.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या2440 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बिहार में आरपीएल शिविरों में नामांकित, उन्मुख, आकलित और प्रमाणित महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**लिंग/जाति श्रेणी**	**नामांकित**	**अभिमुख**	**आकलित**	**प्रमाणित**
1	बिहार	लड़की/महिला	10,819	10,704	9,562	7,615
2	बिहार	अन्य पिछड़ा वर्ग	35,915	35,594	31,594	28,427
3	बिहार	अनुसूचित जाति	3,242	3,215	2,770	2,367
4	बिहार	अनुसूचित जनजाति	641	616	545	494
	योग		**50,617**	**50,129**	**44,471**	**38,903**

****